न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 128/2006

1 मृतक अजीज पुत्र मो. अजीमा जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु
1/1 जैहरा पुत्री
1/2 शमीम पुत्री
1/3 अमान उल्ला पुत्र
1/4 रब्बानी पुत्र
1/5 साजिदा पुत्री
1/6 साजिदा पुत्री
1/7 ईमरान पुत्र
1/8 अफसाना पुत्री
1/9 अजाज पुत्र
1/10 सायना पुत्री स्व. अजीत जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
2 फारूक पुत्र मो. अजीमा जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 मृतक इब्राहिम पुत्र गन्नी खां जाति कसाई मूस्लिम निवासी मण्डावा जिला मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु।
1/1 उमर
1/2 रफीक
1/3 असलम पुत्रगण स्व. इब्राहिम जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
1/4 जेबु पुत्री इब्राहीम स्त्री यासीन जाति व्यापारी निवास इन्द्रा कॉलोनी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/5 बुलकेस पुत्री इब्राहीम स्त्री फारूख जाति व्यापारी निवासी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/6 रजिया पुत्री इब्राहीम स्त्री आरीफ जाति व्यापारी निवासी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
1/7 खेरू पुत्री इब्राहीम स्त्री अब्दुल गन्नी जाति व्यापारी निवासी गांधी पार्क के पीछे नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/8 अमीना पुत्री इब्राहीम जाति व्यापारी निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
2 मृतक अयुब पुत्र ईसाक जाति मुसलमान निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृत्यु
2/1 माफिया स्त्री
2/2 रूबीना पुत्री
2/3 फिरदोस पुत्री
2/4 अफसाना पुत्री
2/5 इरसाद पुत्री
2/6 मुस्कान पुत्री स्व. अयुब जाति मुसलमान निवासी गांधी पार्क के पास अथूणा मौहल्ला नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 इकबाल पुत्र ईसाक जाति कसाई मुस्लिम निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4 क्यूम पुत्र ईसाक जाति कसाई मुस्लिम निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 मृतक तैयब पुत्र ईसाक जाति कसाई मुस्लिम निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु
5/1 सकलेन पुत्र
5/2 रेहान पुत्र
5/3 शाईस्ता पुत्री
5/4 आमना पुत्री
5/5 साना पुत्री
5/6 अलीमा पुत्री
5/7 जुलेखा स्त्री
5/8 निशा स्त्री स्व तैयब जाति कसाई मुस्लिम निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 मृतक जमाल पुत्र गन्नी जाति कसाई मुस्लिम निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6/1 जैना पुत्री जमाल स्त्री हनीफ बहलीम जाति कसाई निवासी डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6/2 रसीया पुत्री जमाल स्त्री मुस्लिम बहलीम जाति कसाई निवासी डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6/3 बानो पुत्री जमाल स्त्री ईस्माईल जाति कसाई निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।
6/4 मकसुदा पुत्री जमाल स्त्री आरीफ जाति कसाई मुस्लिम निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6/5 साना पुत्री जमाल जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 जीमल पुत्र हरमतुल्ला जाति कसाई मुस्लिम निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8 हबीब
9 मजीद
10 रफीक
11 साजिद पुत्रगण जीमल व स्व. खातुन पुत्री अजीमा जाति कसाई मुस्लिम निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
12 हफसाना पुत्री जीमल जाति कसाई मुस्लिम निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 सबीना पुत्री जीमल जाति कसाई मुस्लिम निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 मु. फातमा पुत्री ईशाक पत्नी इकबाल जाति व्यापारी मुसलमान निवासी नवलगढ़ हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।
15 मु. मुमताज पुत्री ईशाक पत्नी अयुब जाति व्यापारी मुसलमान निवासी लक्ष्मणगढ़ हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।
16 मु. मेमुना पुत्री ईशाक पत्नी स्व. जाबलहक जाति व्यापारी मुसलमान निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 म. रहीशा पुत्री ईशाक पत्नी अब्दुला जाति व्यापारी मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।

18 मु. साजीदा पुत्री ईशाक पत्नी साजीद जाति व्यापारी मुसलमान निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।

19 मु. सबीना पुत्री ईशाक पत्नी इकबाल जाति व्यापारी मुसलमान निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं हाल आबाद मुम्बई केयर ऑफ ईशाक मोमसानी पार्क 601 फ्लेट नम्बर बिहाईन्ड सगुफा अपार्टमेंट यादव नगर सलकार रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट अनबोली मुम्बई 400102।

20 रमजान पुत्र गुलाब

21 बदरूदीन पुत्र गुलाब समस्त जाति कसाई मुस्लिम निवासीगण सिंगरावट मौहल्ला आथुना पुरानी मस्जिद के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।

22 मृतक जन्नत पुत्री सुगरा व गुलाब स्त्री सदीक बहलीम जाति व्यापारी निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर। दौराने अपील मृत्यु

22/1 शकील पुत्र

22/2 साहिद पुत्र

22/3 वाहिद पुत्र

22/4 जायदा पुत्री

22/5 वाहिदा पुत्री स्व. जन्नत व गुलाब जाति व्यापार मुस्लिम निवासीगण पुरानी मण्डी के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।

23 मृतक फातमा उर्फ नानु स्त्री गन्नी स्त्री आमीन बगड़ जाति व्यापारी निवासी राजलदेसर जिला चुरू।

23/1 रोशनी पुत्री

23/2 हंसली पुत्री

23/3 शब्बीर पुत्र

23/4 सतार पुत्र

23/5 जावेद पुत्र

23/6 रमजान पुत्र

23/7 मुशा पुत्री उ

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

23/8 मेमुना पुत्री स्व. फातमा एवं आमीन जाति व्यापारी निवासी राजलदेसर जिला चुरू।
24 ारीफ पुत्र अजीमा जाति कसाई निवासी मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
25 जरीना पुत्री अजीमा स्त्री फारूक जाति व्यापारी मुस्लिम निवासी झुन्झुनूं।
26 मृतक समीरा उर्फ सबीरा पुत्री अजीमा स्त्री रफीक जाति व्यापारी मुस्लिम निवासी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
26/1 सबीना पुत्री
26/2 इमरान पुत्र
26/3 इरफान पुत्र
26/4 तोफिक पुत्र
26/5 सफीक पुत्र सगीरा व रफीक जाति व्यापारी मुस्लिम निवासी मोहल्ला व्यापारियान झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
27 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2006 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी मृतक मोहम्मद अजीमा वगै. बनाम इब्राहीम वगै. मु.नं. 143/2002 दावा बाबत घो ाणार्थ एवं विभाजन एवं स्थाई नि ोधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 24/10/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 143/2002 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणार्थ, बंटवारा, स्थाई हुक्म इमतनाई दवामी बाबत भूमि खसरा नम्बर 487, 749/1, 582 वाके मण्डावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस नम्बर 24, 25, 26 के पिता स्व. मौहम्मद अजीमा ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था कि खेत खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता बारानी अब्बल व खसरा नम्बर 749/1 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता बारानी सोयम व खेत खसरा नम्बर 582 मी. 2 बीघा 4 बिश्वा पुख्ता बारानी अब्बल मौजा मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है। जिसमें अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 24, 25, 26 के स्व पिता मौहम्मद अजीमा का 1/4 हिस्से अलग से कायम कर कानूनी रूप से पक्षकारान के मध्य बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा की सिद्धी चाही थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 24, 25, 26 (वादीगण) का दावा खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय करने में भारी कानूनी भूल की है। जबकि अपीलान्ट ने तनकी नम्बर 1 को दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर पूर्ण रूप से साबित किया है कि गन्नी का मौहम्मद अजीमा पुत्र था और मौहम्मद अजीमा को गन्नी का पुत्र होना रेस्पोडेन्ट ने भी स्वीकार किया है और स्व. गन्नी के कब्जे काश्त व टीनेन्सी में खेत खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघा 17 बिश्वा खेत खसरा नम्बर 749/1 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा खसरा नम्बर 582 मी. रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा भूमि होना भी रेस्पोडेन्टस ने स्वीकार किया है परन्तु चिवारण न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 749/1 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा खसरा नम्बर 582 मी. रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा वाके मौजा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मण्डावा में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस 24, 25, 26 के स्व. पिता मौहम्मद अजीमा का हक न मानने में भारी कानूनी भूल की है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। स्व. अब्दुल गन्नी ने कभी भी जुबानी विवादित भूमि का दान नहीं किया था ओर विवादग्रस्त भूमि को स्व अब्दुल ग़न्नी उर्फ गन्नी के वारिसान शामलाती में काश्त करते चले आ रहे है और जब स्व. गन्नी का इंतकाल हो गया। भूमि खसरा नम्बर 487 1 बीघा 17 बिश्वा भूमि का नामान्तकरण स्व. गन्नी की फौतगी के आधार पर अपीलान्टस के पिता मौहम्मद अजीमा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 इब्राहिम रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 जमाल व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 5 के पिता ईशाक के नाम से तस्दीक हुआ है और खसरा नम्बर 749/1 व 582 की भूमि का नामान्तकरण 22.11.1976 को जो प्रदर्श पी.9 है। वह भी स्व. गन्नी की फौतगी के आधार पर नामान्तकरण भरा गया है। जिससे भी स्पष्ट है कि स्व. गन्नी ने भूमि का कोई जुबानी दान नहीं किया था क्योंकि अगर स्व. गन्नी जुबानी दान करते तो इसके मरने के बाद जुबानी दान के आधार पर नामान्तकरण भरा जाना चाहिये था। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस और गौर न करने में भारी कानूनी भूल की है। भूमि खसरा नम्बर 749/1 व 582 मी. के बाबत जो नामान्तकरण भरा गया है उसमें अपीलान्टस के पिता मो. आजीमा का पूरा नाम व लिखकर सिर्फ मौहम्मद ही लिख दिया जिससे अधूरा नाम लिखने से रेस्पोडेन्टस ने गलत रूप से इसका अर्थ निकालकर मौहम्मद अजीमा का 1/4 हिस्सा भूमि खसरा नम्बर 749/1, 582 मी. की भूमि में अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 24, 25, 26 के पिता मौहम्मद आजीमा का हक न होने के बाबत अपने जवाब दावे में कथन किया है कि और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वह निराधार व अविश्वसनीय थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने सच्चाई का गहनता से अध्ययन किये बिना ही अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 24, 25, 26 की ओर से प्रस्तुत दावे को खारिज करने में भारी भुल की है। विचारण न्यायालय ने विवादित जमीन खसरा नम्बर 487 का नामान्तकरण भरे जाने में तथा भूमि खसरा नम्बर 749/1 व 582 मी. के नामान्तकरण भरे जाने के समय का अंतराल मानकर भूमि खसरा नम्बर 749/1, 582 मी. की भूमि में स्व. मौहम्मद अजीमा का हक न मानने में भारी कानूनी भूल की है जबकि नामान्तकरण जो 22.11.1976 को भरा गया है उसमें हकीकत में मौहम्मद अजीमा का हक सिर्फ मौहम्मद लिखकर ही दर्शाया गया है क्योंकि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अमूमन बोलचाल की भाषा मौहम्मद अजीमा को मौहम्मद ही बोल दिया जाता था। अगर मौहम्मद अजीमा का प्रदर्श पी. 9 नामान्तकरण में हक नहीं होता और सिफ इब्राहिम, ईशाक और जमाल का हीह क होता तो इस नामान्तकरण को अपने हक में भरवाने के लिए वारिस प्रमाण पत्र या अन्य कोई कारण होता उसको साबित करना होता परन्तु फिर भी विचारण न्यायालय ने नामान्तकरण ने संदेहास्पद मानकर तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस 24, 25, 26 के खिलाफ पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 936 प्रदर्श 9 दिनांक 22.11.1976 का प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा स्वीकृत किया गया है। उस नामान्तकरण दावा दायरी से पूर्व कही चैलेन्ज नहीं करने अवलम्ब लेते हुये अब्दुल गन्नी द्वारा संवत 2008 में जुबानी दान की रेस्पोडेन्ट ने जो झूठा कथन लेकर आये थे उसको विश्वसनीय मानने में भारी कानूनी भूल की है क्योंकि संवत 2008 में न तो कोई जूबानी दान हुआ था न ही उस वक्त विवादित भूमि की टिनेन्सी स्व. अब्दुल गन्नी के नाम से आई थी। इसलिए स्व. अब्दुल गन्नी को टिनेन्सी ही प्राप्त नहीं थी तो विवादग्रस्त खसरा नम्बर 749/1 तादादी 4 बीघा 19 बिश्वा खसरा नम्बर 582 मी. तादादी 2 बीघा 4 बिश्वा व अन्य खसरा नम्बर की भूमि का जुबानी दान कैसे कर सकता थात था नही अब्दुल गन्नी द्वारा जुबानी दान करना रेस्पोडेन्टस की साक्ष्य से व दस्तावेजात साक्ष्य से साबित हुई है फिर भी विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 749/1 व 582 मी. में स्व. मौहम्मद अजीमा का 1/4 हिस्सा न मानने भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को निर्णित करते वक्त प्रदर्श पी.5 विक्रय पत्र का गलत अर्थ निकाला है। इस विक्रय पत्र में अपीलान्टस के पिता स्व. मौहम्मद आजीमा ने अपना स्वयं अर्जित एक आवासीय भूखण्ड विक्रय किया है। उसमें कहीं भी जुबानी दान का जिक्र नहीं किया है। फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी.5 का अवलम्ब लेकर तनकी नम्बर 1 को अपीलान्टस के हक में निर्णित व डिक्री न करने में भारी कानूनी भूल की है। मौके पर अपीलान्टस का विवादग्रस्त भूमि पर दावा पेश करने के रोज आज भी वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है तथा स्व. अब्दुल गन्नी के कानून वारिस होने से पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 का निर्णय दावे के पक्षकारान को देखे बिना ही पारित किया है जबकि जवाब दावे कि धारा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 में वर्णित सभी पक्षकारान का अपीलान्टस ने पक्षकार बना रखा है जिससे साफ जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है। तनकी नम्बर 3 भी गलत आधारों पर निर्णि की गई है। तनकी नम्बर 4 अपने आप में वेग रूप से निर्णित की गई है जिससे साफ जाहिर है कि निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। तनकी नम्बर 5 जिस तरह से निर्णित की है वह तनकी नम्बर 1 व 5 आपस में विरोधाभाषी ऑपिनियन प्रकट करती है जबकि दावा अपीलान्टस ने अपने हक में पूर्ण रूप से साबित किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने गलत आधारों पर मुकदमें को निर्णित कर अपीलान्टस का दावा खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस नम्बर 24 अपील के वक्त विदेश में है तथा रेस्पोडेन्टस नम्बर 25, 26 भी अपने ससुराल गई होने के कारण इनको रेस्पोडेन्टस बनाया गया है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2006 को खारिज फरमाया जावें और अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस 24, 25, 26 के हक में दावा डिक्री एवं निर्णित किया जाकर दावे में चाही गई रिलिफ फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमीन खसरा नम्बर 487 जरिये नामांतकरण संख्या 32 वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम स्वीकृत हुआ तब शेष भूमि खसरा नम्बरान 749/1 रकबा 4 बीघा 19 बिश्वा पुख्ता व खसरा नम्बर 582 रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा पुख्ता मौजा मण्डावा का नामान्तकरण उसी समय क्यों नहीं भरा गया, इस संबंध में वकील वादी कुछ नहीं बता पाये है, जब कि वादी ने अपने वाद में कथन किया है कि उक्त भूमि उनकी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिससे इस भूमि के संबंध में वादी के कथन संदेहास्पद प्रतीत होते है। रिकार्ड पर मौजूद प्रदर्श–5 विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त विक्रय पत्र वादी द्वारा 1973 में पंजीबद्ध करवाया गया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मौखिक दान व गन्नी का 1954 में देहान्त होना एवं अजिमा का अलग हो जाना दर्ज किया है, उसका रिजोइण्डर वादी पक्ष द्वारा नहीं किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा मौखिक दान व बंटवारा के कथन की पुष्टि दस्तावेज प्रदर्श–डी–5 विक्रय से होती है। लगान की रसीद जो पत्रावली पर मौजूद है उनसे भी सही साबित है कि लगान प्रतिवादीगण पक्ष द्वारा ही दिया गया है। प्रतिवादी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पक्ष ने जमीन खसरा नम्बर 487 व खसरा नम्बर 749/1 व खसरा नम्बर 583 की बाबत अनुतोष चाहा है। वादी का मुख्य आधार उत्तराधिकार रहा है। प्रदर्श पी–1 नामान्तकरण संख्या 31 जो विरासत के आधार पर तस्दीक हुआ है। उक्त नामान्तकरण जमीन खसरा नम्बर 487 रकबा 1 बीघाा 17 बिश्वा का भरा गया है। नामान्तकरण प्रदर्श पी–9 जमीन खसरा नम्बर 749/1 व 582 मि. का है। उक्त नामान्तकरण वादी के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादीगण इब्राहित, जमाल व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता इशाक के नाम स्वीकृत हुआ है। नामान्तकरण संख्या 936 प्रदर्श–9 दिनांक 22.11.76 का प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तकरण पर वादी ने दावा दायरी से पूर्व कही भी चैलेंज नहीं किया है। उक्त नामान्तकरण के अवलोकन से भी प्रतिवादीगण पक्ष की प्लीडिंग की ताईद होती है। वादी ने दावा 2001 में किया है। नामान्तकरण संख्या 936 सन 1976 में स्वीकृत हुआ है, इतने वर्षों तक उक्त नामान्तकरण की वादी पक्ष को जानकारी नहीं हो सके, यह इस स्तर पर विश्वास योग्य बात नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में अब्दुल गन्नी द्वारा संवत 2008 में जो जुबानीदान का तथ्य दर्ज किया है उसकी ताईद इस नामान्तकरण से होती है। कानून से मुललमानों में मौखिक दान हो सकता है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में कोई मौखिक ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। वादी पक्ष की ओर से केवल पी.डब्लयू 1 साक्षी अजीज वल्दु अजीमा प्रस्तुत हुआ है जो गन्नी का पौत्र है। वादी अपने दावा की प्लीडिंग को अन्य किसी स्वतंत्र मौखिक साक्ष्य से साबित नही कर पाया है वादी ने अपने कब्जा काश्त को साबित करने के संबंध में अपने हक हिस्से को साबित करने के संबंध में एवं प्रतिवादीगण के मौखिक दान व कब्जा काश्त तथा हक हिस्से के खण्डन में किसी खेत पड़ौसी के, रिश्तेदार के जानकार के या अन्य किसी भी स्वतंत्र साक्षी को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 1 अजीज की जिरह दिनांक 13.09.2004 को हुई है जिसमें वह अपने दादा अब्दुल गन्नी को 50 वर्ष पूर्व मरना कहता है। इससे भी साबित है कि अब्दुल गन्नी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले हुई है। वादी ने अपनी उम्र शपथ–पत्र मुख्य परीक्षण में 52 साल बताता है एवं गुवाड़ी का बंटवारा होना कहता है एवं जिरह में अपने पिता द्वारा गुवाड़ी प्रतिवादी जमाल व इब्राहिम को बेचना बताता है, इससे भी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त जमीन व अन्य अचल सम्पत्ति के बाबत बहुत वर्षों पहले आपस में बंटवारा हुआ है। वादी की मौखिक साक्ष्य से भी प्रतिवादीगण के कथन को ही बल मिलता है। नामान्तकरण संख्या प्रदर्श पी–1 भी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार का स्वीकृत किया है व नामान्तकरण संख्या 936 प्रदर्श पी–9 भी प्राधिकृत अधिकारी नायब तहसीलदार झुन्झुनूं का स्वीकृत किया हुआ है नामान्तकरण संख्या 936 प्रदर्श–9 में उत्तराधिकार के आधार पर मौ. अजीमा का नाम क्यों नहीं आया इस बाबत अदालत हाजा द्वारा दौराने बहस वकील वादी से स्थिति स्पष्ट तथ्य नहीं बताये गये है। वादी पक्ष द्वारा इतने वर्षों पश्चात दावा करने से भी यही प्रकट होता है कि विवादित जमीन पर वादी का कोई कब्जा काश्त दावा दायरी के दिन भौतिक रूप से नहीं रहा है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में अन्य मौखिक साक्ष्य क्यों नहीं पेश की, यह भी समझ से परे है। वादी यदि स्वच्छ हाथों से आता एवं वादी का वास्तव में जमीन पर कब्जा काश्त व हक हिस्सा होता तो वादी स्वतंत्र साक्ष्य अपने हक संबंध में पेश कर सकता था। इससे भी यह प्रकट होता है कि वादी ने मनगढ़त कहानी बनाकर यह दावा काफी वर्षों बाद प्रस्तुत किया है। विवादित सम्मत्ति उसे कैसे मिली तथा उसके हक कैसे मिला, इस बाबत वादी पक्ष की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी पक्ष की साक्ष्य से यह साबित है कि अब्दुल गन्नी का देहान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आने से पहले हुआ। ऐसी स्थिति में दावे की प्लींडिग दस्तावेजात, मौखिक साक्ष्य से वादीगण का दावा साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2011(2) एससी पेज 1115, आरआरटी 2001(2) पेज 878, आरआरटी 2001(1) पेज 52, एआईआर 1997 एससी पेज 2719, आरबीजे 2004 पेज 588, आरआरटी 2025(1) पेज 503 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

अनिल कुमार
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद घोषणार्थ, बंटवारा, स्थाई हुक्म इमतनाई दवामी बाबत भूमि खसरा नम्बर 487, 749/1, 582 वाके मण्डावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा वाद के समर्थन में अजीज पुत्र अजीमा पीडब्ल्यू–1 का शपथ पत्र साक्ष्य में पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 नामान्तकरण संख्या 31, प्रदर्श–पी2 जमाबंदी संवत 2012 से 2015, प्रदर्श–पी–3 जमाबंदी संवत 2016 लगायत 2019, प्रदर्श–पी–4 जमाबन्दी संवत 2020 से 2023, प्रदर्श–पी–5 जमाबंदी संवत 2024 लगायत 2027, प्रदर्श–पी–6 जमाबंदी संवत 2028 लगायत 2031, प्रदर्श–पी–7 जमाबन्दी संवत 2032 से 2035, प्रदर्श–पी–8 जमाबंदी संवत 2041 से 2044, प्रदर्श–पी9 नामान्तकरण संख्या 936, प्रदर्श–पी–10 जमाबंदी संवत 2012 से 2015, प्रदर्श–पी–11 जमाबंदी संवत 2016 लगायत 2019, प्रदर्श–पी–12 जमाबन्दी संवत 2020 लगायत 2023, प्रदर्श–पी–13 जमाबंदी संवत 2024 लगायत 2027, प्रदर्श–पी–14 जमाबंदी संवत 2029 से 2032, प्रदर्श–पी–15 जमाबंदी संवत 2032 से 2035, प्रदर्श–पी–16 जमाबंदी संवत 2041 लगायत 2044, प्रदर्श–पी–17 नक्शा संवत 1935–36, प्रदर्श–पी–18 जमाबंदी संवत 2045 से 2048, प्रदर्श–पी–19 प्रदर्श –पी 20 संवत 2045 से 2048 प्रदर्शित कराये गये। इसी प्रकार प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 44 दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित करवाये गये है।

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में तनकीयों के विवेचन में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर विवेचन किये बिना केवल मात्र मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के अभाव में पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर